प्रेसनोट

सराहनीय कार्य, कानपुर देहात
दिनांक-13.09.2026

➢ **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 04.09.2026 को थाना भोगनीपुर पर वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र 22 वर्ष को उसके ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज में ₹5 लाख व कार की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना तथा मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी देने हुए दिनांक 02.09.2026 को समय 19.45 बजे अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर वादी की पुत्री की हत्या कर देने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 291/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4डीपी एक्ट बनाम (पति) उपेन्द्र उर्फ विक्की पुत्र डा० दिनेश यादव निवासी नगर पालिका रोड, सुभाष नगर, पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात आदि 05 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त उपेन्द्र सिंह उर्फ बिक्की पुत्र दिनेश सिंह निवासी नगरपालिका रोड मोहल्ला सुभाषनगर कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को सट्टी रोड़ थाना क्षेत्र भोगनीपुर से दिनांक 13.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. उपेन्द्र सिंह उर्फ बिक्की उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र दिनेश सिंह निवासी नगरपालिका रोड मोहल्ला सुभाषनगर कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर टीम-

1. म0उ0नि0 श्रीमती सुमन दीक्षित
2. उ0नि0 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह
3. हे0का0 80 पवन कुमार यादव
4. म0हे0का0 241 आरती श्रीवास्तव
5. म0का0 1194 किर्ति बघेल
6. का0 126 अनुज कुमार